REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 1228]
 नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940

 No. 1228]
 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

का.आ. 1357(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के संतंभ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

क्र.सं.	नई रारा सं .	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
508	369ई	कर्नाटक राज्य में सागर के निकट रारा-69 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		हुविनाहल्ली, होलेबागलू, कलसावल्ली, सिंघनादूर को जोड़ते हुए और मरकुटुका के
		निकट रारा-766सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
509	373	कर्नाटक राज्य में बेलुर के निकट रारा-73 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		हासन, होलेनरसीपुरा को जोड़ते हुए और बिलिकेरे के निकट रारा-275 के साथ अपने
		जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

तालिका

510	275के	कर्नाटक राज्य में हिंकल गांव के निकट रारा-275 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकर कोलुंबिया एशिया हॉस्पिटल के निकट रारा-275/रारा-150ए, एपीएमसी
		बंडीपालिया के निकट रारा-766/रारा-150ए को जोड़ते हुए और मैसूर शहर के चारों
		तरफ हिंकल गांव के निकट रारा-275 के साथ अपने प्रारंभ जंक्शन पर समाप्त होने
		वाला राजमार्ग । (मैसूर रिंग रोड)

[फा. सं. एनएच-14012/27/2014-पी एंड एम (पार्ट-8)] राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना 896 दिनांकित 01.03.2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

S.O. 1357(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
508	369E	The highway starting from its junction with NH-69 near Sagar connecting Huvinahalli, Holebaglu, Kalasavalli, Sighanadoor and terminating at its junction with NH-766C near Markutuka in the State of Karnataka.
509	373	The highway starting from its junction with NH-73 near Belur connecting Hassan, Holenarasipura and terminating at its junction with NH-275 near Bilikere in the State of Karnataka.
510	275K	The highway starting from its junction with NH-275 near Hinkal village connecting NH-275/ NH- 150A near Columbia Asia Hospital, NH-766/ NH-150A near APMC Bandipalya and terminating at its originating junction with NH-275 near Hinkal Village arround Mysore city in the state of Karnataka. (Mysore Ring Road)

TABLE

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M (Pt-8)] RAJESH GUPTA, Dy. Secy. Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 896 dated 1st March, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

का.आ. 1358(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 362 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

क्र.सं.	नई रारा सं .	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
362	548बी	महाराष्ट्र राज्य में देवगांव फाटा, सेलू, पाथरी, सोनपेठ, पराली वैजनाथ, अंबाजोगाई, रीनापुरफाटा, लातुर (रारा-361), ओसा, ओमार्गा, येनेगुर, मुरुम, अलुर, अक्कालकोट, नागासुर को जोड़ते हुए मांथा के निकट रारा-548सी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर, कर्नाटक राज्य में बीजापुर (विजयपुरा), टिकोटा, अथानी, कगवाड़, चिक्खोड़ी, शंकेश्वर को जोड़ते हुए और गोटुर के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/27/2014-पी एंड एम (पार्ट-8)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना 896 दिनांकित 01.03.2018 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

S.O. 1358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 362 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
362	548B	The Highway starting from its junction with NH-548C near Mantha connecting Deogoan Fata, Selu, Pathari, Sonpeth, Parali Vaijnath, Ambajogai, Renapurphata, Latur (NH-361), Ausa, Omarga, Yenegur, Murum, Alur, Akkalkot, Nagasur in the state of Maharashtra connecting Bijapur (Vijayapura), Tikota, Athani, Kagwad, Chikhodi, Sankeshwar and terminating at its junction with NH-48 near Gotur in the state of Karnataka.

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M (Pt-8)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 896 dated 1st March, 2018.